तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज महेशचन्द्र बनाम् महेश कुमार वगै0 दावा बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा मुकदमा नम्बर :– 232/2016 बी.टी. नम्बर 569/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
13.12.2018	पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 13251/राम/न्याय/निग/टीए/2017/7005/सीकर दिनांक 14 नवम्बर 2018 के द्वारा प्राप्त होकर आज पेश हुई। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निर्णय दिनांक 1.11.18 के द्वारा पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से निगरानी को आगे नहीं चलाकर निगरानी को खारीज करवाई जाने पर पत्रावली पुनः इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25.01.2019 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ पेश हों। Gm	
17.12.2018	पत्रावली वकील वादी के प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 25.01.2019 से पूर्व तलब होकर पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री बनवारी लाल कुड़ी एड. ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी न. 9 की पहचान एंव प्रतिवादी नम्बर 1 से 3, 7, 8 व 10 की ओर से श्री भँवर सिंह बिजारणियॉ एड. ने राजीनामा स्वीकार किया। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के अनुसार प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 व 7 से 10 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है Gm	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
	महेशचन्द्र बनाम् महेश कुमार वगै0 **दावा बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा** **मुकदमा नम्बर :– 232/2016 बी.टी. नम्बर 569/2017** तथा प्रतिवादी नम्बर 4 से 6 के विरूद्ध दिनांक 13.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा से सम्बन्धित है जिसमें समस्त पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 1124, 1125, 1126, 1127 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा तन् ग्राम अजीतगढ़ में स्थित है। जिसके रिसैटलमेंट 1982–83 में नये खसरा नम्बर 2057, 2058, 2059, 2063 कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 हैक्टर तन् अजीतगढ़ दर्ज किये है जो रकबा में गलत दर्ज है। नये सैटलमेंट रिकार्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की विवादग्रस्त भूमि का नये सैटलमेंट 1980–1982 में रकबा 1.24 दर्ज किया है जो गलत है। यह रकबा 5 बीघा से भी 0.01 हैक्टर कम बनता है जबकि रिकार्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी की भूमि का रकबा 1.4750 हैक्टर बनता है। इस प्रकार सैटलमेंट विभाग ने नये सैटलमेंट में वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की भूमि का रकबा 0.2350 हैक्टर कम दर्ज किया है जबकि रिसैटलमेंट में सैंटलमेंट के अधिकारी, अमीन व एस.ओ. या एएसओं को रकबा कम–ज्यादा करने, घटा देने, बढ़ा देने का अधिकार नहीं है एंव न ही सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना खातेदारी में परिवर्तन करने का अधिकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 अपने सम्पूर्ण रकबा 1.4750 हैक्टर पर दिनांक 1.5.2016 तक काबिज काश्त थे व वादी व प्रतिवादी न. 3 के 0.2350 हैक्टर भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी न. 3 का रकबा 0.2350 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर नये 2053/2 में मिला दिया गया है। यह रकबा खसरा नम्बर 2059, 2058 की पूर्वी दिशा में उत्तर–दक्षिण खसरा नम्बर 2053/2 में मिलाया गया है व वादी व प्रतिवादी नम्बर Gm.	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	महेशचन्द्र बनाम् महेश कुमार वगै0 **दावा बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा** **मुकदमा नम्बर :– 232/2016 बी.टी. नम्बर 569/2017**	

3 की भूमि में कम कराया गया है। इसे वादी पुनः अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2057, 2058, 2059, 2063 कुल किता 4 कुल रकबा 1.24 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ व भूमि खसरा नम्बर 2053/2 में से रकबा 0.2350 हैक्टर तन् अजीतगढ़ वादी व प्रतिवादी न. 3 की भूमि का भूखण्ड है। इन सबका वैधानिक बंटवारा कर वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं. 3 को 1/2 हिस्से का बंटवारा कर अलग से सम्भला दिया जावे व सीमा कायम कर दी जावें। वकील वादी ने उक्तानुसार तकास्मा किये जाने हेतु निवेदन वादी ने वादपत्र में किया है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 व 7 से 10 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 4 से 6 के विरूद्ध दिनांक 13.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में पक्षकारान् ने आपस में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। पक्षकारान् के द्वारा पेश किया वादपत्र बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों को पक्षकारान् ने सही होना स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किये जाने से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पेश वादपत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र बरूये राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.01 हैक्टर सम्पूर्ण, 2058 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण, 2059 रकबा 0.92 हैक्टर में से रकबा

Gm-

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये

महेशचन्द्र बनाम महेश कुमार वगै0
दावा बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा
मुकदमा नम्बर :– 232/2016 सी.टी. नम्बर 569/2017

0.41 हैक्टर पूर्वी दिशा का बट्टा नम्बर डालकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड किया जावें तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का नाम हजफ किया जावें व इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2059 रकबा 0.49 हैक्टर पश्चिमी दिशा का व खसरा नम्बर 2059 के रकबा 0.02 हैक्टर नेशनल हाईवे से सटाकर के अलग से बट्टा नम्बर डालकर व खसरा नम्बर 2063 रकबा 0.11 हैक्टर सम्पूर्ण का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इन खसरा नम्बरान् से वादी का नाम हजफ किया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम कर दिया जावें तथा लगान भी अलग–अलग दर्ज किया जावें। राजीनामा दिनांक 17.12.2018 को डिकी का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। ग्राम अजीतगढ़ के पुराने भूमि खसरा नम्बर 1124, 1125, 1126, 1127 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा का नये सैटलमेन्ट में रकबा 1.24 हैक्टर दर्ज किया है जिसमें रकबा 0.2350 हैक्टर कम दर्ज किया जाना वादी ने अवगत कराया है। उक्त खसरा नम्बरान् के पुराने व नये रिकार्ड का मिलान किये जाने पर प्रथम दृष्टवा यह स्पष्ट होता है कि उक्त पुराने खसरा नम्बर 1124, 1125, 1126, 1127 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा का नये सैटलमेन्ट में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार रकबा 1.24 हैक्टर दर्ज रिकार्ड हुआ है। जिसके अनुसार रकबा 0.2350 हैक्टर कम दर्ज किया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। जिसके अनुसार नये खसरा नम्बर 2053/2 रकबा 2.66 हैक्टर किस्म चारागाह में से रकबा 0.2350 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

महेशचन्द्र बनाम् महेश कुमार वगै0
दावा बाबत ईस्तकरार हक, बेदखल, स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवारा
मुकदमा नम्बर :– 232/2016 बी.टी. नम्बर 569/2017

अनुसार में वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 से 10 का कब्जा है। साबिक जमाबन्दी एंव पुराने व नये नक्शे के मिलान से वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार कम दर्ज रिकार्ड हुई है एंव साबिक व हाल नक्शा ट्रेस अनुसार इनकी खातेदारी मौके पर पूर्व दिशा की ओर चारागाह भूमि से लगते हुए खसरा नम्बर 2053/2 रकबा 2.66 हैक्टर में से 0.2350 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 से 10 के कब्जे में होना प्रकट होता है।

अतः प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त खसरा नम्बर 2053/2 रकबा 2.66 हैक्टर किस्म चारागाह में से रकबा 0.2350 हैक्टर (संलग्न नजरी नक्शा अनुसार) से वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 से 10 को मौके से बेदखल नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। वादी व प्रतिवादी नम्बर 7 से 10 उक्त खसरा नम्बर 2053/2 रकबा 2.66 हैक्टर किस्म चारागाह में से रकबा 0.2350 हैक्टर के खातेदारी अधिकारों हेतु पृथक से वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.जे.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner